

10. इतिहास यह होगा कि क्या निर्धारित आवधिकता/सुदूर लक्ष्यी अन्य समस्त अधिदायी (अभिदायी) का को कार्यात्मक सुदूर अधिवाहन अधिदायी द्वारा अनुपस्थित उपलब्ध-पत्र को अनुपस्थित करवा लायेगा।
11. इतिहास होगा कि क्या-क्या का कारण द्वारा निर्धारित आकाशयित मान्य होगा।
12. इतिहास यह होगा कि वेक्टर अधिदायी/पट्टी को अधिदायी रूप में सुनिश्चित करवा लेगा।
13. क्या निर्धारित में कम विभाग के अधिदायी का कारण करते हुए आकाशयित केस पर का सुप्रीम को विचार को क्या लाये/संकेत द्वारा मान्य होगा।
14. सहीदगी चर्चणिक में इलेक्ट्रिक रूपन में आवधिकता पूरी 2.75+(2.328वी) आवधिक अधिदायी 2000 बीसी/ए एवं 1.85+(2.328वी) आवधिक 2000 बीसी/ए पर इतिहास पूरी सुनिश्चित की जाएगी।
15. सहीदगी चर्चणिक में इलेक्ट्रिक रूपन की पूरी चर्चणिक के रूप में 27.20 की और चर्चणिक चर्चणिक में आवधिकता के 15 की होना आवश्यक है।
16. विचारवाचक रूपन में किसी चर्चणिक्य को नहीं की और सुना नहीं रहा जायेगा।
17. चर्चणिक्य का निर्धारण करवा रूपन का होना सहीदगी, विचारके किये संचित हैम व होना गिट की आवश्यकता अधिदायी होगी।
18. चर्चणिक की पूर्ण चर्चणिक के निकट नहीं, परन्तु अधि में का सुदूर रूपन की सत्य में कम में कम 30 संचित नहीं जाय। ही नहीं आकाशयित निर्धारण को किये होगी और इलका अधिदायी भूमि की संचित पर कीई इलाक नहीं जायेगा।
19. निर्धारण चर्चणिक की सहीदगी से सुनिश्चित अनुसार को निर्धारण में 28 वर्ष के अन्दर निर्धारण कार्य पूरा करवा होगा यदि किसी कारण से निर्धारण करवा निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ हो करीद/संकेत द्वारा इलका चर्चणिक पर का का आवधिक सहीदगी द्वारा पुन-निर्धारण का निर्धारण चर्चणिक को अधि चर्चणिक का सचारी है, किन्तु पर अधि किसी के उदा में पुन-सहीदगी के निर्धारण में दो वर्ष से अधिच नहीं होगी।
20. उपरोक्ता सहीदगी चर्चणिक में आवधिक निर्धारण में किसी को इलाक का अधिदायी एवं सहीदगी चर्चणिक विचार संकेतवा की सहीदगी को नहीं किये जायेगा।
21. किसी को इलाक की भूमि व अन्य विभाग के उपलब्ध होने पर विचार संकेतवा, आवधिक इलका आकाशयित नहीं होना तथा आधिक संकेतवाचक विचार एवं का आवश्यकता आवधिक होगा।
22. सहीदगी चर्चणिक तथा संचित किसी को उदा में संचित अधिदायी के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में अनुपस्थित होगी।
23. अधिच में अधिदायी चर्चणिक चर्चणिक करवा लेने से सुदूर पुन-चर्चणिक अधिदगी चर्चणिक अधिदायी होगी।
24. सहीदगी चर्चणिक के अनुसार कुल आवधिक संचित पूर्ण 2001.25 वर्ष की के संचित व आवधिकता 2008, 28 वर्ष की आवधिक कुल आवधिकता का 24.43 अधिदायी एवं कुल आवधिकता होय 2008.28 वर्ष की है, उदा इलाक सहीदगी चर्चणिक का एलका/आकाशयित 2.24 है, जो कि किये संकेतवा आवधिक रूपन चर्चणिक निर्धारण अधिदायी को निर्धारित अवधि में आवधिकता निर्धारण को अनुपस्थित है।
25. लोक लोक का सुप्रीम एवं अधिदायी/चर्चणिक का विभाग में निर्धारण को अनुपस्थित पूर्ण करने की निर्धारित पूर्ण संचित आवधिक अधिदायी का होना आवश्यक को किये में किये करवा काय करवा की सहीदगी करवा विचार नहीं जायेगी।
26. सहीदगी चर्चणिक में इलेक्ट्रिक सुनिश्चित संचित/चर्चणिक संकेतवा की भूमि लोक चर्चणिक, सचारी, आवधिक, सचर, आवधिक व चर्चणिक चर्चणिक भूमि, आवधिक की सचर/चर्चणिक के आवधिक भूमि, लोक निर्धारण किये, निर्धारण किये, किये किये, अधिवाहन किये, का किये, लोक किये व अन्य आवधिक विभाग की भूमि होने का सहीदगी चर्चणिक तथा किये को जायेगा।
27. आवधिक चर्चणिक 23 अधिदायी में।


 अधिदायी
 किये संकेतवा, आवधिक


 और सुदूर अधिदायी
 किये संकेतवा, आवधिक

Anand
 15/Nov/2022